

पंचायतीराज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातीय महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन (मध्य प्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में)

संगीता ठाकुर¹ डॉ. के. आर. कुमेकर² प्रो. सुनील गोयल³

1. पीएच.डी. शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) डॉ. बी. आर. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान, विश्वविद्यालय, महु, इन्दौर
2. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला-खरगोन (म.प्र.)
3. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) माता जीजाबाई शास. स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

संरांश:- पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास की सभी समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जा सकता है। अनुसूचित जनजाति समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों में विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है। भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण करना है। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय जिस रूप में आज हम देख रहे हैं। उसे समाज के सर्वांगीण विकास के लिये न केवल शिक्षित होना होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भी होना चाहिये, जिससे वे घर व समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकें। भारतीय महिला आंदोलन की शुरुआती दौर में महिला समर्थकों ने परिवार और समाज के व्यवस्था क्रम में स्त्री को अधीन बनाये रखने के लिये की जाने वाली शारीरिक मानसिक हिंसा को अपने आंदोलन का केन्द्र बनाया।

मुख्य शब्द:- पंचायती राज, महिला, सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी एवं आरक्षण।

प्रस्तावना:- पंचायती राज से तात्पर्य ऐसे गाँव के लोगों की शासन व्यवस्था से है जो उत्तरदायित्व स्वयं संभालते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को बनाये और उन्हें क्रियान्वित कर समस्याओं को हल करने के बारे में स्वयं ही निर्णय ले सकें। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज का उद्देश्य शामिल किया गया। भारत गाँवों का देश है और गाँवों के विकास एवं समृद्धि पर ही भारत का सम्पूर्ण विकास निर्भर करता है। गाँवों के विकास कार्यों को गति देने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गयी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि-“पंचायतें ही भारत देश की चाल बनायेगी, दिल्ली की संसद में चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों न बैठ जाये असल में पंचायतें ही भारतीय प्रशासन व्यवस्था का आधारशीला तैयार करेगी।

देश व समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में क्या स्थान है। प्राचीन इतिहास से लेकर आज के आधुनिक युग तक अगर नजर डाले तो भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है। बदलते समय

के साथ स्त्रियों ने भी पुरुषों के सामान ही हर क्षेत्र में तरक्की की है, जिस पर कभी पुरुषों का प्रभुत्व हुआ करता था।

पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता स्थानीय सरकार में प्रतिनिधित्व करने का एक वैधानिक जरिया है। अनुसूचित जनजाति की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र के कामकाज में सामाजिक निषेध काफी हद तक रहा है। भारत में अनुसूचित जनजातियाँ मुख्यतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के साथ वह एकाकी क्षेत्रों में निवास करती है। देश के स्वतंत्र होने के बाद भी जनजातीय समुदाय संचार माध्यमों एवं सूचनाओं की कमी के कारण वह दूसरे जातियों से अलग जीवन यापन करने लगा। जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होने लगा और अनुसूचित जनजातियाँ अन्य जातियों के सम्पर्क में आने लगी वैसे-वैसे इनका विकास होने लगा। सरकार भी अनुसूचित जनजातियों की महिला प्रतिनिधियों में सुधार के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया गया है। मध्य प्रदेश एवं बिहार, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड में यह आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया है। जिससे जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है।

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका:- लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यापक राजनीतिक सहभागिता एवं विकास के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाये। ग्रामीण जीवन में राजनीतिक जागरूकता लाने, ग्रामीण क्षेत्र में विकास की नियंत्रण अपने हाथ में लेने तथा व्यापक राजनीतिक भागीदारी के लिए पंचायती राज व्यवस्था आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तो है ही, उसमें महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम है। यह भारत की लोकभावना और समाज की सांस्कृतिक विरासत की मूलभावना का प्रतीक है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के प्रति पुरानी सोच बदलनी होगी। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने से राजनीति में पूर्णपूर से भूमिका बढ़ी है।

जनजातीय समाज में जाति पंचायतों में लिए जाने वाले निर्णयों में न तो स्त्रियों की राय ली जाती थी और न ही उनकी राय मानी जाती थी जनजातीय महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों से अनभिज्ञ थीं। इस स्थिति में वे किसी पंचायती राज पद पर आसीन नहीं हो सकती थी। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने तथा ग्राम पंचायतों जनजातीय महिलाओं की सीट आरक्षित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को पंच, सरपंच बनने के साथ जनपद, नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ प्रशासनिक सभी उच्च पदों पर आसीन हो रही है। वर्तमान में जनजातीय महिलाओं में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंच एवं सरपंच बनने का मौका अवश्य प्राप्त हुआ है, किन्तु अभी भी वे स्वयं किसी कारण पंचायतों के कार्य में निर्णय नहीं ले पाती हैं जिस कारण उनके पति या बेटा एवं विवाह न होने की स्थिति में पिता व भाई पंचायत का काम देखते हैं।

भारतीय समाज में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति:- वर्तमान युग में हमको कितने भी विकसित एवं शिक्षित समाज का हिस्सा मानते हैं, परन्तु हमारी मानसिकता अभी भी महिलाओं के प्रति पक्षपात पूर्ण है। भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं की स्थिति भी सुखद नहीं है क्योंकि कामकाजी महिलाओं को अपने कामकाज के अतिरिक्त घरेलु कार्यों के लिए संघर्ष करनी पड़ती है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुष घरेलु कार्यों को करने से परहेज करता है। पिछले दशक से लेकर आज वर्तमान सदी में भी भारत में महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उनमें जागरूकता और कार्यशीलता बेहतर नियंत्रण क्षमता अपने विषय में निर्णय लेने के प्रति समर्थ एवं स्वतंत्र हों। महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए और राष्ट्र के निर्माण में उनकी भागीदारी होना महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण तभी सम्भव होगा जब आर्थिक और सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। ग्राम पंचायत स्तर में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है लेकिन उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता भी है।


सरकार भी अनुसूचित जनजातियों की महिला प्रतिनिधियों में सुधार के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया गया है। मध्यप्रदेश एवं बिहार, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड में यह आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया है। जिससे जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है।

महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्र होने के बाद एक मजबूत पंचायती राज व्यवस्था का स्वप्न संजोया था जिसमें शासन व्यवस्था के कार्य की सबसे महत्वपूर्ण इकाई पंचायत होगी। उनकी सोच पंचायतों की शासन व्यवस्था के मूल आत्मनिर्भर पूर्ण स्वायत्त एवं स्वावलम्बी होने की थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व सफल हुआ है।

तालिका 1: पंचायती राज के बारे में जानकारी का विवरण

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	292	91.2
2.	नहीं	28	8.8
	कुल	320	100.0

स्त्रोत-प्राथमिक संमक-2024




उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश में पंचायती राज लोकतांत्रिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का जीवित आकार है। पंचायती राज व्यवस्था के रूप में स्वतंत्रता के पश्चात ही प्रभावकारी हुआ है, लेकिन इसकी परिकल्पना स्वतंत्र भारत से काफी पहले देखने को मिलती है। पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना उसका स्वरूप व उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की संरचना वर्तमान समय की बात नहीं है बल्कि इसका इतिहास वैदिक काल से भी पुराना है। पंचायती राज के बारे में जानकारी के विवरण के अध्ययन में पाया गया कि 91.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायती राज के बारे में जानकारी है। जबकि 8.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पंचायती राज के बारे में जानकारी नहीं है।

तालिका 2: पंचायती राज व्यवस्था के कारण सत्ता में आने का अवसर मिलने से संबंधित विवरण

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	289	90.4
2.	नहीं	31	9.6
	कुल	320	100.0

स्त्रोत-प्राथमिक संमक-2024




उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था के कारण सत्ता में आने का अवसर मिला क्योंकि पंचायती राज ही एक माध्यम है जिससे ग्रामीण जनसमुदायों का विकास सम्भव हो पाया है। पंचायती राज के तहत विकास को धरातल पर लाकर ग्रामीण समुदाय को सशक्त बना बनाना है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को बढ़ावा दिये जाने के कारण जनजातीय समुदायों की भागीदारी बढ़ी है। पंचायती राज व्यवस्था ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। जिसके कारण लोगों को रोजगार और सत्ता में आने का मौका मिला है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सत्ता में आने के अध्ययन में पाया गया कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताया कि पंचायती राज होने से हम सत्ता में आ सके हैं जबकि 9.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज व्यवस्था होने के कारण भी वह सत्ता में नहीं आ सके हैं।

तालिका 3: यदि हाँ तो किस प्रकार से प्रतिनिधित्व के अवसर प्राप्त होने का विवरण

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	पंच के रूप में	00	0.0
2.	सरपंच	00	0.0
3.	जनपद सदस्य के रूप में	320	100.0
4.	जिला पंचायत के रूप में	00	0.0
	कुल	320	100.0

स्त्रोत-प्राथमिक संमक-2024




उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था के कारण अवसर मिलने से लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम किया जाता है। राजनीतिक अवसर मिलने से पंचायती राज व्यवस्था में मुख्यरूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। पंचायती राज व्यवस्था में अवसर के कारण समान प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय और स्थानीय विकास जिसमें ग्राम स्तर पर सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़के, स्कूल और अस्पतालों के निर्माण और उसके देख-रेख का काम पंचायती राज व्यवस्था का होता है। इसके साथ लोगों को पंच और

सरपंच बनने का अवसर मिल सका है। इस प्रकार शोध के अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज व्यवस्था से अवसर मिलने सरपंच पूर्णरूप से बन सके हैं। जिसका 100 प्रतिशत सर्वधिक पाया गया है।

तालिका 4: आपके राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	253	79.0
2.	नहीं	42	13.2
3.	पता नहीं	25	7.8
	कुल	320	100.0

स्त्रोत-प्राथमिक संमक-2024




उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी से आपके सशक्तिकरण के अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज होने के कारण अधिकांश रूप से महिला जनप्रतिनिधियों को मौका मिला है। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों में अनुसूचित जनजातियों के विकास और उनके कार्यकुशलता उनके व्यवहार, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं गांव में उनकी आंरभिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। 79 प्रतिशत पंचायती राज में अनुसूचित जनजातिय महिलाओं की भागीदारी होने के कारण उनका सशक्तिकरण हो हुआ है। जबकि 13.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातिय महिलाओं की भागीदारी होने के कारण भी उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। 7.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजातिय महिलाओं की भागीदारी होने के कारण उनको पता ही नहीं है कि उनका सशक्तिकरण हो पाया है।

तालिका 5: यदि हाँ तो किस प्रकार से

क्र.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	घर के कार्यो में स्वयं निर्णय लेने लगे हैं	105	32.8
2.	समाज में सम्मान मिलने लगा है	77	24.0
3.	पुरुषों के साथ बराबरी में बैठने का मौका मिलने लगा है	138	43.2

	कुल	320	100.0
--	-----	-----	-------

स्त्रोत-प्राथमिक संमक-2024



उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी से आपके सशक्तिकरण के रूप में पाया गया कि 32.8 घर के कार्यों में स्वयं निर्णय लेने लगी हैं। जबकि 24 प्रतिशत पंचायती राज में अनुसूचित जनजाति महिलाएं राजनीतिक भागीदारी होने के कारण समाज में सम्मान मिलने लगा है। और 43.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी में बैठने का मौका मिलने लगा है। अतः शोध के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज होने के कारण अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी होने के कारण वह पुरुषों के साथ बराबरी में बैठने का मौका मिलने लगा है जिसका प्रतिशत सर्वाधिक है।

निष्कर्ष :- पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी होना अति आवश्यक है जिससे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। पंचायती राज की नई व्यवस्था को अब देश के पारम्परिक पुरुष-प्रधान निर्णय लेने वाले समाज में अब निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का भी समावेश होने लगा है। लेकिन समाज की मानसिकता के चलते अभी भी इस रास्ते में महिलाओं के सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं यह सत्य है कि हमारा सामाजिक ढाँचा और उनकी मानसिकता समूचे देश में एक समान नहीं हैं किन्तु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि महिलाओं के प्रति सोच में देश के विभिन्न भागों में काफी समानताये हैं तात्पर्य यह है कि वे अब भी राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ी हैं जिन्हें जागरूक करना होगा और आगे बढ़ाना होगा जिससे महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके।

संदर्भ सूची

1. जैन, प्रकाश (1993), पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व“ कुरुक्षेत्र नवम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सिंह अशोक कुमार (1994), “ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम“, योजना, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. यतीन्द्र सिंह, “लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और महिलाओं का सशक्तिकरण“, कुरुक्षेत्र अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सिंह, प्रतिभा, पंचायती राज के क्रियान्वयन का विश्लेषण अध्ययन अप्रकाशित शोध प्रबंध अ.प्र.सि.वि., रीवा 2006।
5. सिंह, विजय प्रताप, भारत में सामुदायिक विकास रामनारायण वेनी प्रसाद इलाहाबाद, 1962
6. शर्मा, विद्यासागर, पंचायत राज व्यवस्था 1963 सत्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली, 1963
7. सिंह, वी.पी., मूल्यों की राजनीति से वोट की राजनीति तक, प्रकाशक बुक डिपो बड़ा बाजार बरेली, 1993